24 5/24

फर्द अहकाम

मु0न0:— 94/2022

उनवान:— बिरमा बनाम तेजराम वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 की खातेदारी आराजी है जिसमे सायल का बाईबर्थ 1/5 हिस्सा है जिस पर सायला काबिज व दखील है। तथा सायला 1/5 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने की हकदार है। सायला व गैरसायल न0 1 ता 4 एक ही संतती की संताने है। प्राईमाफेसी सायला के पक्ष मे साबित है सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा कानूनन खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। वर्णित आराजीया तमे गैरसायल न0 1 काबिज काश्त कर रहा है। सायल व गैरसायल जाति से मीना समाज से है इसलिये इन पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होते है। तथा समाज मे पुत्री का विवाह के बाद कोई हिस्सा नही होता इसलिये सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम मान्नोज की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता न0 105 कुल किता 4 कुल रकवा 1.34 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 106 कुल किता 4 कुल रकवा 0.44 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 107 कुल किता 10 कुल रकवा 2.18 है0 मे गैरसायल न0 1, 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 43 मे कुल किता 1 रकवा 0.25 है0 मे गैरसायल न0 1 1/72 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 को अपने पिता अर्जुन से विरासत मे मिली है। इसलिये सायला का गैरसायल न0 1 की आराजीयात मे नोशनल शेयर पर हिस्सा बनता है। इससे प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि ग्राम **ख0न0 699/0.18, 735/0.15, 780/0.18, 847/0.16, 848/0.13, 887/0.24, 921/0.12, 923/0.64, 955/0.35, 955/1941/0.03, 768/0.15, 772/0.31, 842/0.36, 949/0.52, 956/0.17, 967/0.14, 968/0.07, 969/0.06, 853/0.03, 854/0.10, 855/0.14, 872/0.15, 919/0.41, 920/0.30, 922/0.04, 1040/0.25, 924/0.42, 925/0.40, 926/0.56 है0** ग्राम **मान्नौज** तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रहन बेचान नही करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम हो [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:52:16 IST
Reason: SelfAttested

(सु[illegible] मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी